भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2040
उत्तर देने की तारीख 11 फरवरी, 2026

के- एफओएन

2040. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रनः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या केंद्र सरकार ने केरल सरकार को केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क (के-एफओएन) के लिए लाइसेंस दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) लाइसेंस के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त परियोजना की कुल लागत और पूर्ण होने की तिथि का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या परियोजना निर्धारित समय-सीमा के अनुसार कार्यान्वित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने के-एफओएन की प्रगति का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितना प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है और इसके लिए कितनी राशि खर्च की गई है;
(ङ) क्या केंद्र सरकार ने के-एफओएन की वित्तीय व्यवहार्यता, वाणिज्यिक और तकनीकी व्यवहार्यता की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) क्या केंद्र सरकार ने के-एफओएन कार्य की गुणवत्ता और मात्रा का आकलन किया है; और
(छ) यदि हां, तो अब तक कुल कितने कनेक्शन दिए गए हैं और परियोजना को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए लगभग कितने कनेक्शनों की आवश्यकता है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) दूरसंचार विभाग ने केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को नेशनल लोंग डिस्टेंस (एनएलडी) सर्विस और इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) हेतु प्राधिकारों सहित यूनीफाइड लाइसेंस प्रदान किया है।

(ख) से (घ) यूनिफाइड लाइसेंस दिशानिर्देशों, जिनके तहत कोई आवेदक यूनीफाइड लाइसेंस के लिए आवेदन करता है, के अनुसार आवेदक के लिए किसी परियोजना की कोई भी सूचना, जिसमें परियोजना की लागत, कार्यान्वयन की स्थिति, अथवा पूरा करने के लिए समय-सीमा शामिल है, प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है।

(ङ) लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय, आवेदक कंपनी को यूनीफाइड लाइसेंस दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित न्यूनतम इक्विटी और न्यूनतम निवल परिसंपत्ति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करना आवश्यक है। इन अर्हता संबंधी इन शर्तों को लाइसेंस प्रदान करने हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करते समय केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड द्वारा विधिवत पूरा किया था।

(च) के-एफओएन सहित सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) के तकनीकी निरीक्षण समय-समय पर दूरसंचार विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

(छ) 31 जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार के-एफओएन ने केरल राज्य में कुल 99,970 इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किए हैं।

*****